न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील भरण पोषण प्रकरण संख्या 13/2019 (RCMS No. 2019/00260)
अनवान् 1. राजेन्द्र गुप्ता पुत्र श्री चलित्र गुप्ता जाति अग्रवाल उग्र 62 वर्ष निवासी नेहरा नगर, चक 6 ई छोटी श्रीगंगानगर **2. सन्तोली देवी** पत्नी राजेन्द्र गुप्ता जाति अग्रवाल उग्र 62 वर्ष निवासी नेहरा नगर, चक 6 ई छोटी श्रीगंगानगर **बनाम 1. राधेश्याम गुप्ता** पुत्र राजेन्द्र गुप्ता जाति अग्रवाल निवासी 6 ई छोर्टा, नेहरा नगर, श्रीगंगानगर हाल मकान नम्बर 411 सेतिया फार्म गली नं. 8, श्रीगंगानगर द्वितीय कार्यालय का पता राधेश्याम गुप्ता राजेन्द्र गुप्ता जाति अग्रवाल कर्मचीार ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, शाखा पी ब्लॉक, श्रीगंगानगर **2. नरेन्द्र कौर** पत्नी राधेश्याम, जाति अग्रवाल निवासी 6 ई छोटी, नेहरा नगर, श्रीगंगानगर हाल मकान नं. 411 सेतिया फार्म, गली नं. 8, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

06.09.2021

अपीलार्थी एवं रेस्पोडेंट को बार–बार आवाज लगाने पर भी उपस्थित नहीं आये।

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि :

पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि **अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर** के समक्ष अपीलार्थी/प्रार्थी ओमप्रकाश ने माता पिता एंवं वरिष्ठ नागरिक का भारण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 04.07.2019 को अप्रार्थी राधेश्याम गुप्ता व नरेन्द्र कौर के विरूद्ध पेश करके प्रार्थना की थी कि मकान नेहरा नगर चक 6 ई छोटी, श्रीगंगानगर को अप्रार्थीगण के कब्जा से मुक्त करवाकर प्रार्थीगण को दिलवाये [illegible] पुलिस थाना सदर, श्रीगंगानगर को दिये जाने [illegible] 00/– रूपये भरण पोषण व दवाई, इत्यादि [illegible] की प्रार्थना की थी [illegible] पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:13:12 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने दिनांक 20.09.2019 को निम्न आदेश पारित किया था :

> **दोनों पक्षों को सुना गया। प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय संलग्नक तथा अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र का अवालेकन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत जवाब, प्रार्थनाप पत्र, अभिलेख एवं परिस्थितियों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 प्रार्थीगण की पुत्र वधु है जो संतान की परिभाषा में नहीं आती है इसलिए उसके विरूद्ध इस अधिनियम में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती।**
>
> **अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थीगण के भरण पोषण का नैतिक दायित्व होने के कारण प्रार्थीगण को भरण पोषण की राशि 2000/– रूपये कुल 2000/– (दो हजार रूपये) माह सितम्बर 2019 से प्रत्येक माह की 10 तारीख से पूर्व अदा करेगा। यह राशि अप्रार्थी संख्या 1 को प्रार्थीगण के बैंक खाते में जमा करवानी होगी जिसके लिये प्रार्थीगण अपना बैंक खाता अप्रार्थी सख्या 1 को अपने स्तर से उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करेगें।**

उक्त आदेश की अप्रसन्नता से प्रार्थीगण ने यह अपील पेश की और उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 20.09.2019 को अपास्त करने की प्रार्थना की है।

प्रार्थीगण राजे[illegible] ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि [illegible] नहीं चाहते है इसलिए उक्त पत्रावली [illegible] कर दफ्तर दाखिल के आदेश फरमाये जावे। प्रार्थीगण की पहचान श्री भ[illegible]लाल टाक, अधिवक्ता ने की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:13:12 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

चूंकि अपीलार्थीगण स्वयं उपस्थित नहीं हुए और उनका आपस में राजीनामा भी हो चुका है इसलिए वे अब इस अपील को आगे भी नहीं चलाना चाहते है। अतः इसी अधार पर अपीलार्थीगण की अपील खारिज की जाती है। **अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मय आदेश प्रति सहित पालनार्थ लौटाया जावे।** अपीलार्थी एवं रेस्पोडेंट को भी आदेश की एक–एक प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 06.09.201 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जाकिर हुसैन)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री संगानेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:13:12 IST
Reason: SelfAttested